तुरन्त / समय अनुबंधित
विशेष वाहक द्वारा

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासनः दिल्ली
पर्यटन विभाग
द्वितीय तल, सी विंग, विकास भवन–II दिल्ली–110054

संख्या फा.1 / प्रशा. / वि.स.अता.प्र. / 75 / 2023 / / 2710 - 2714 दिनांकः– 14/12/23

सेवा में,

उप सचिव,
प्रश्न शाखा,
विधानसभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषयः– विधानसभा अतारांकित प्रश्न सं. 75 दिनांक 15.12.2023 के लिए।

महोदय,

आपके ई–मेल दिनांक 05.12.2023 के संदर्भ में विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के संदर्भ में मांगी सूचना एवं उत्तर की मूल प्रति एवं उसकी 100 प्रतियां अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

यह सक्षम प्राधिकारी, माननीय पर्यटन मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

14/12/2023
(खेमचंद बडगुजर)
सहायक निदेशक, पर्यटन

संख्या फा.1 / प्रशा. / वि.स.अता.प्र. / 75 / 2023 / दिनांकः–

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. निजी सचिव, पर्यटन मंत्री, दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली।
3. निजी सचिव, सचिव, पर्यटन, दिल्ली।
4. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण विभाग, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
   150 प्रतियों सहित।

(खेमचंद बडगुजर)
सहायक निदेशक, पर्यटन

विभाग का नाम:- **पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार**
विभाग का पता:- **द्वितीय तल, सी विंग,**
विकास भवन-II , दिल्ली-54
अतारांकित प्रश्न संख्या:- **75**
दिनांक:- **15.12.2023**
प्रश्नकर्ता का नाम:- **श्री सुरेन्द्र कुमार**

क्या माननीय पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क सं.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली के बजट में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के लिए बजट आवंटित होने के बाद भी यह कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ इसका पूर्ण विवरण दें:	दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल (डीएसएफ) के लिए वार्षिक योजना बजट 2023–24 के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। फेस्टिवल की वैचारिक योजना और इसकी कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा करने के लिए दिनांक 21.04.2023 को दिल्ली के माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान कई अन्य मुद्दों के अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि डीएसएफ का मुख्य फोकस ब्रांडिंग पर होगा। इसलिए, ब्रांडिंग और अन्य मदों पर खर्च का रिकॉर्ड रखने में एवं उत्सव के विभिन्न पहलूओं के आयोजन में उचित सावधानी बरतने की जरूरत थी। बैठक के अनुसरण में डीएसएफ पर एक संकल्पना नोट तैयार किया गया। इस बीच, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, जीएनसीटीडी द्वारा दिनांक 05.06.2023 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें सूचित किया गया कि प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली ने सूचना और प्रचार निदेशालय के वर्ष 2019–22 के रिकॉर्ड एवम् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 9 अन्य सरकारी विभागों, जो डीआईपी/ शब्दार्थ के माध्यम से अपने विज्ञापन और प्रचार अभियान प्रकाशित करते हैं, का ऑडिट किया। ऑडिट का उद्देश्य डीआईपी द्वारा किए गए विज्ञापन अभियान में जीएनसीटीडी के कार्यक्रमों, नीतियों और गतिविधियों को प्रचारित करने पर किए गए व्यय में मितव्ययता, दक्षता और प्रभावशीलता का पता लगाना और डीआईपी द्वारा स्वीकृत सरकारी विज्ञापनों की सामग्री विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों और सिद्धांतों का अनुपालन करना था। सीएजी ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं जो इस प्रकार हैं:– 1. विज्ञापन में गलत या गैर–सत्यापित सामग्री। 2. विज्ञापन अभियानों पर अनुपातहीन व्यय। 3. विज्ञापन पर अनुचित एवं निष्फल व्यय। 4. अभियान के बाद प्रभाव मूल्यांकन का अभाव। उपरोक्त परिपत्र के माध्यम से सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे डीआईपी के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के

14/12/2023

		लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सीएजी की टीप्पणीयों को ध्यान में रखें। साथ ही यह सलाह दी गई कि सभी विभाग विज्ञापन के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सभी सावधानियों का पालन करें तथा विज्ञापन के बाद के प्रभाव का आंकलन करें ताकि विज्ञापन पर हुए खर्च में मितव्ययता, दक्षता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए इस संदर्भ में जारी सर्कुलर दिनांक 5.6.2023 की प्रति संलग्नक 'क' में उपलब्ध है। हालांकि उपरोक्त परिपत्र में विज्ञापन अभियानों पर खर्च में मितव्ययता बरतने का आह्वान किया गया है, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि विज्ञापनों पर 'अनुपातहीन व्यय', 'अनुचित और अनुपयुक्त व्यय' क्या है। यह 'अभियान के बाद प्रभाव मूल्यांकन' के अर्थ को भी निर्दिष्ट नहीं करता है, न ही यह वर्णन करता है कि अभियान के बाद प्रभाव का आकलन कैसे किया जाना है। इस संबंध में, माननीय पर्यटन/डीआईपी मंत्री, जीएनसीटीडी को पर्यटन सचिव/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीटीटीडीसी द्वारा नोट संख्या पीआर एंड पब/1075/06/डीटीटीडीसी/2023/27061, दिनांक 27.06.2023 को जमा कराया गया था, जिसमें विज्ञापन योजनाओं को तैयार करने के मामले में मार्गदर्शन के लिए अनुरोध किया गया था। इस प्रपत्र में यह प्रस्ताव रखा गया था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन पर होने वाले व्यय के संबंध में स्पष्ट एवं विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद ही उपरोक्त महोत्सव के आयोजन की तैयारी की जाए। क्योंकि उक्त दिशानिर्देश अभी तक प्राप्त नही हुए, अतः डीएसएफ के आयोजन के संबंध में अगली कार्यवाही नहीं की जा सकी।
ख	इसके लिए कौन–कौन से ऑफिसर दोषी है इसका पूर्ण विवरण दे,	प्रश्न ही नहीं उठता।
ग	दिल्ली फिल्म फैस्टिवल क्यों नहीं हुआ इसका पूर्ण विवरण दें,	दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए वार्षिक योजना बजट 2023–24 के अंतर्गत 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। इस महोत्सव की वैचारिक योजना और इसकी कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा करने के लिए 06.04.2023 को माननीय पर्यटन मंत्री, जीएनसीटीडी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान दिल्ली फिल्म नीति की मुख्य विशेषताओं और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की वैचारिक योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद हितधारकों के साथ विचार–विमर्श किया गया और आरएफपी दस्तावेज तैयार किया गया। आरएफपी दस्तावेज अनुमोदन के लिए माननीय पर्यटन मंत्री, जीएनसीटीडी को प्रस्तुत किया गया था। फाइल को माननीय पर्यटन मंत्री द्वारा सचिव (पर्यटन)/एमडी, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम को चर्चा के लिए चिह्नित किया गया था। इस मामले पर पर्यटन

14/12/2023

		सचिव/एमडी, डीटीटीडीसी ने माननीय पर्यटन मंत्री के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान माननीय मंत्री की राय थी कि इस महोत्सव की ब्रांडिंग दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के बजाय सूचना एवं प्रचार निदेशालय जीएनसीटीडी द्वारा की जानी चाहिए। इस बीच डीआईपी, जीएनसीटीडी द्वारा दिनांक 05.06.2023 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें जीएनसीटीडी के विभागों को विज्ञापन अभियानों पर खर्च में मितव्ययता बरतने की सलाह दी गई। चूंकि डीआईपी परिपत्र विज्ञापनों पर व्यय को अनुपातहीन, गैर–न्यायसंगत और निष्फल के रूप में आंकने के लिए मापदंडों को निर्दिष्ट नहीं करता है, इसलिए सचिव पर्यटन/एमडी (डीटीटीडीसी) द्वारा माननीय पर्यटन/डीआईपी मंत्री, जीएनसीटीडी को दिनांक 27.06.2023 का एक नोट प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुरोध किया गया था कि विज्ञापन योजनाओं को तैयार करने के मामले में दिशानिर्देश जारी किए जाए ताकि ब्रांडिंग और विज्ञापन के व्यय की तर्कसंगतता और औचित्यता के संबंध में स्पष्टता हो सके। हालाँकि, आज तक ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। पर्यटन सचिव द्वारा दिनांक 19.07.2023 को माननीय पर्यटन मंत्री को एक नोट फिर से प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति सचिव, डीआईपी, जीएनसीटीडी को भी दी गई, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन में विज्ञापन और ब्रांडिंग पर काफी खर्च होगा क्योंकि यह पहली बार है जब दिल्ली में इस तरह का उत्सव आयोजित किया जाएगा। नोट में यह प्रस्तुत किया गया था कि डीआईपी परिपत्र दिनांक 05.06.2023 के संदर्भ में उचित व्यय क्या होगा, इस पर वर्तमान में कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसी स्पष्टता विशेष रूप से आवश्यक है, खासतौर से जब सीएजी जैसी वैधानिक एजेंसियां पहले ही जीएनसीटीडी के कई विभागों के रिकॉर्ड का ऑडिट कर चुकी हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञापन पर किए गए खर्च के बारे में नकारात्मक टिप्पणी पारित की है। इन कारणों को देखते हुए, यह प्रस्तावित किया गया कि विज्ञापन पर उचित व्यय के संबंध में मार्गदर्शन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट और विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए आगे की कार्रवाई की जा सकती है। आज तक सक्षम प्राधिकारी से इस संबंध में कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए है कि विज्ञापन पर उचित व्यय कितना होगा। हाल ही में 05.12.2023 को माननीय पर्यटन मंत्री, जीएनसीटीडी के समक्ष प्रस्तावित दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर एक प्रेजंटेशन फिर से दी गई।
घ	पर्यटन, कला–संस्कृति व भाषा विभाग का कितना बजट इस्तेमाल हुआ और कितना वापस दिया जाने का प्रस्ताव है इसका पूर्ण विवरण दें,	संलग्नक 'ख' एवं 'ग' में उपलब्ध है।

14/12/2023

<table>
<tr>
<td>ड.</td>
<td>बजट खर्च न होने के क्या–क्या कारण है सभी मदों में बजट न खर्च होने के सभी कारणों का अलग–अलग विवरण दें, और</td>
<td>संलग्नक 'ख' की टिप्पणी/रिमार्क्स में उपलब्ध है।</td>
</tr>
<tr>
<td>च</td>
<td>दिल्ली की दिवाली कार्यक्रम न होने के क्या कारण है कृपया पूर्ण विवरण दें?</td>
<td>माननीय पर्यटन, मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से दिनांक 06.06.2023 को एक नोट प्राप्त हुआ जिसमें दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम की पैनलबद्ध उत्सव आयोजक संस्थाओं के माध्यम से 'दिल्ली की दीवाली' के आयोजन के लिए कहा गया था और जिसके लिए वार्षिक योजना बजट 2023–24 के अंतर्गत 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था।

उपरोक्त नोट के प्रतिउत्तर में, माननीय मंत्री को सूचित किया गया कि 'दिल्ली की दीवाली' के अंतगर्त निम्नलिखित कार्यक्रम के आयोजन की योजना थी:–

<table>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>कार्यक्रम का नाम/ उपशीर्षक</td><td>प्रस्तावित स्थल</td><td>संभावित तिथियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>कवि सम्मेलन</td><td>गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति</td><td>27–29 अक्टूबर, 2023</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>दीवाली मेला</td><td>इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स</td><td>03 से 05 नवंबर, 2023</td></tr>
</table>
उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी एवं हिन्दी अकादमी के सहयोग से 27–29 अक्टूबर 2023 को गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

डीटीटीडीसी की पैनलबद्ध उत्सव आयोजन संस्थाओं से दीवाली मेले (3 से 5 नवंबर, 2023) के आयोजन के लिए बोली प्रदाता संस्थाओं में से 3 संस्थाओं ने प्रेजंटेशन में भाग लिया। जो नामित समिति द्वारा 28.10.2023 को देखी गई थी।

तीनों संस्थाओं की प्रेजंटेशन की जांच करने पर यह पाया गया कि तीनों संस्थाएं टेंडर दस्तावेज के कार्यसीमा के आधार पर तकनीकी रूप से योग्य नहीं हैं और इसलिए आगे विचार किए जाने के योग्य भी नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त एजेंसी प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि इसी अवधि के दौरान दिल्ली/एनसीआर में सरस मेला, सूरजकुंड महोत्सव, वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे 3–4 बड़े–बड़े आयोजन किये जा रहे हैं। अतः मेले के लिए प्रतिष्ठित विक्रेता उपलब्ध नहीं होंगे।

इन कारणों से मेले का आयोजन नहीं हो पाया।</td>
</tr>
</table>

14/12/2023

खेमचन्द बडगुजर

सहायक निदेशक (पर्यटन विभाग)

Ann. - '05'

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY
GOVT. OF NCT OF DELHI
BLOCK 9, OLD SECTT. DELHI-110054.

No.F.16(188)/Advt./DIP/2022-23/2245-52

Dated:- 05/06/23

CIRCULAR

The Directorate of Information and Publicity (DIP) is responsible for informing and publicizing the programs, policies and activities of the Government of the National Capital Territory of Delhi (GNCTD) and looks after the publicity requirements of all its department. Further, as per the Standard Operating Procedure (SOP) of June 2016, all Head of the Department (HODs) of Govt. of NCT of Delhi can prepare the Media Plan and accord administrative approval for release of advertisements at DAVP approved rates.

The Principal Accountant General (Audit), Delhi has conducted the audit of records of Directorate of Information and Publicity for the period of 2019-22 and selected 9 other departments of Govt. of NCT of Delhi, which publishes their advertisements and publicity campaigns through DIP/Shabdarth. The objective of the audit were to ascertain economy, efficiency and effectiveness in expenditure incurred on publicizing the programs, policies and activities of the GNCTD and compliance of guidelines and principles approved by the Hon'ble Supreme Court on content regulation of Government Advertising in respect of Advertisement Campaigns undertaken by DIP.

The CAG has made certain observations which are as under:-

I. Inaccurate or non-varifiable contents in the Advertisement.
II. Disproportionate expenditure on advertisement campaigns.
III. Unjustifiable and unfruitful expenditure on advertisement.
IV. Absence of Post Campaign impact assessment.

In view of the above, it is requested that while submitting the proposal for advertisement to be published through DIP, the observations of CAG may kindly be kept in mind and adequate precautions in submitting proposal for advertisements as well as post advertisement impact assessment shall be undertaken by all the departments, so that the economy, efficiency and effectiveness in expenditure on account of advertisements shall be ensured.

This issues with the approval of Secretary (I&P).

(Sanjay Kumar Ambasta)
Dy. Director (I&P)
Dated:- 05/06/23

No.F.16(188)/Advt./DIP/2022-23/2245-52
Copy to:-

1. Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
2. Additional Secretary to Chief Minister, Delhi.
3. All Secretaries to Ministers, GNCTD.
4. Staff Officer to Chief Secretary, GNCTD
5. All Additional Chief Secretary / Principal Secretaries/Secretaries / Head of Departments /Head of All Autonomous Bodies, GNCT of Delhi.
6. Secretary (I&P)
7. Director, DIP
8. Guard File.

(Sanjay Kumar Ambasta)
Dy. Director (I&P)

GEETIKA SHARMA
GM, DT

29

Detailed Head wise statement of Gross Budget Estimates for R.E 2023-24 and B.E 2024-25 of Department (Establishment and othr commited expenditure)				In Thousands	
Name of the Department: DEPARTMENT OF TOURISM					
Major Head of Account	Major Head	Budget Estimate	Expenditure upto november 2023	Proposed Revised Estimates 2023-24	Remarks
		2023-24	2023-24	2023-24	
1. Establishment & Obligatory Expenditure					
(i) Department of Tourism					
Salaries	3452 80 001 950001	8970	5900	8290	
Rewards	3452 80 001 950005	40	38	40	
Med. Trt.	3452 80 001 950006	1000	55	700	
Allowances	3452 80 001 950007	7960	4418	7000	
Leave Travel concession	3452 80 001 950008	600	134	600	
Domestic Travel Exp.	3452 80 001 950011	300	0	100	
Foreign Travel Exp.	3452 80 001 950012	100	0	100	
Office Expenses	3452 80 001 950013	300	37	300	
Rent for others	3452 80 001 950018	1400	811	1400	
Digital Equipments	3452 80 001 950019	200	919	200	

14/12/2023

Fuel and Lubricants	3452 80 001 950024	900	0	200	
Other revenue expenditure	3452 80 001 950049		0	70	
TOTAL		**21770**	**12312**	**19000**	
(ii) Licensing of tour operators, travel agents and excursion agents					
Salaries	3452 80 001 900001	5000	2336	3760	
Rewards	3452 80 001 900005	40	35	60	
Medical Treatment	3452 80 001 900006	600	67	400	
Allowances	3452 80 001 900007	3700	1725	3350	
Leave Travel concession	3452 80 001 900008	240	84	240	
Domestic Travel Expenses	3452 80 001 900011	50	4	30	
Office Expenses	3452 80 001 900013	170	50	170	
Digital Equipments	3452 80 001 900019	230	104	2400	
Professional Services	3452 80 001 900028	900	7	1000	
Repair and maintainance	3452 80 001 900029	1000	0	3000	
Other revenue expenditure	3452 80 001 900049		0	30	
TOTAL		**11930**	**4412**	**14440**	
Grand total		**33700**	**16724**	**33440**	
		2023-24	**2023-24**	**2023-24**	
Public Engagement of council of Ministers					
Other charges	3452 80 001 84 00 50	60000	0	10000	

14/12/2023

GIA to DIHM & CT					
GIA General	3452 01 190 98 00 31	20000	0	**24400**	
Creation of Creation of Capital Assets	3452 01 190 98 00 35	0	0	**84879**	
GIA to DTTDC TOURIST Information Centre					
GIA to General DTTDC	3452 01 190 97 00 31	19900	4975	**19900**	
GIA Salaries DTTDC	3452 01 190 97 00 36	30000	7500	**30000**	
GIA to DTTDC Delhi Tourism Circuits					
GIA to DTTDC Delhi Tourism Circuits	3452 01 190 75 00 31	5000	0	**100**	Only Token money is proposed during FY 23-24. This scheme will be taken up in the next Financial Year.
GIA to DTTDC for Women Safety Tourism Structures					
GIA to DTTDC for Women Safety Tourism Structures	3452 01 190 74 00 31	5000	1250	**8000**	The construction of Women changing room (Bridal Rooms), Creche and Mother Care Rooms is proposed at Garden of Five Senses and Dilli Haat INA.
GIA to DTTDC for AAM aadmi Canteen					
GIA General	3452 01 190 73 00 31	20000	0	0	It has been propsed to transfer the scheme to DUSIB, GNCTD since the subject matter does not pertains to DTTDC.
GIA to DTTDC for redevelopment of Garden of Five Senses					
GIA General	3452 01 190 72 00 31	300000	0	50000	A presentation has been made before Honble Tourism Minister on 5.12.2023 for further course of action.
Promotion of Tourism- Delhi as a Destination					

14/12/2023

GIA General	3452 80 104 71 00 31	375000	**93750**	**125000**	
GIA Salaries	3452 80 104 71 00 36	25000	6250	**25000**	
Tourism Infrastructure					
GIA to DTTDC for creation of Capital Assests	3452 80 104 70 00 35	500000	125000	**270000**	
GIA to DTTDC for Dilli Shopping festival					
GIA General	3452 01 190 69 00 31	1000000	0	26000	Details given in the reply
GIA to DTTDC for implementation of Dilli film policy					
GIA General	3452 01 190 68 00 31	100000	**0**	2800	
GIA to DTTDC for International Film Festival					
GIA General	3452 01 190 67 00 31	300000	75000	1600	Details given in the reply
GIA to DTTDC for Dilli film fund					
GIA General	3452 01 190 66 00 31	50000	**0**	10000	No application received
Beautification of Entry Points					
GIA General	3452 80 104 67 00 31	15000	**3500**	**15000**	The expenditure on salary component and operation/ maintenance of GTB memorial is met out under this scheme. Beautification of Entry Point at Tikri Border is proposed and is pending for NOC/approval from PWD.

14/12/2023

GIA Salaries	3452 80 104 67 00 36	15000	3500	**15000**	
GIA to DTTDC for Branding Delhi					
GIA General	3452 80 104 66 00 31	150000	**37500**	**25000**	In reference to DIP letter dated 21.9.23 requisite amount on advertisement cannot be made as Branding and Advertisement are being monitored strictly. Moreover RE stage has come and only 3 months have been left. Hence, the Balance funds may be surrendered and appropriate funds will be raised during next financial year
GIA to DTTDC for Dilli Ki diwali					
GIA General	3452 80 104 63 00 31	150000	**0**	**1000**	Details given in the reply
GIA to DTTDC for 75th Anniversary Celebration of Indiependance of India					
GIA General	3452 80 104 61 00 31	0	**0**	**67200**	
Tourism & Heritage fellowships					

14/12/2023

GIA General	3452 80 104 59 00 31	10000	0	**2500**	The Tourism and Heritage Fellowship is intended to promote research work and promotion of our distinguished heritage and tourism. This capacity building exercise would enhance Delhi Tourism's reach by coordinating with service providers and to improve visitor satisfaction. The objective of this scheme is to use the skills of Fellows to improve behavioral and service skill-sets of service providers who come in contact with tourists at tourist sites. Promoting Delhi as a brand destination globally requires integrated efforts at all levels and this Fellowship would serve that cause. The consultation with Educational and professional institutes are under consideration to engage their students for heritage fellowship.
TOTAL		**3149900**	**358225**	**813379**	
Capital Section					
Puchase of Land for construction of Delhi Sadan					
Major works	5452 01 102 92 00 53	200000	0	5000	
Development of Yamuna					
Major works	5452 01 800 81 00 53	100	0	100	
Motor Vehicle	5452 01 001 XX0051	-	-	3000	
TOTAL		**200100**	**0**	**8100**	
Grand Total		**3350000**	**358225**	**821479**	

14/12/2023

ग

विभाग का नाम : कला, संस्कृति और भाषा विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता : सातवाँ तल, सी-विंग, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या : 75 (घ)
दिनांक : 15.12.2023
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सुरेन्द्र कुमार

क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
(घ) पर्यटन, कला, संस्कृति व भाषा विभाग का कितना बजट इस्तेमाल हुआ और कितना वापस दिया जाने का प्रस्ताव है इसका पूर्ण विवरण दें;	दिल्ली शॉपिंग फैस्टिवल हेतू कला, संस्कृति व भाषा विभाग के वर्ष 2023-24 के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । कला, संस्कृति व भाषा विभाग को वर्ष 2023-24 के लिए कुल 151.82 करोड़ रूपए बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से संशोधित प्रस्तावित अनुमानित बजट कुल 112.81 करोड़ है और शेष 39.01 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिया गया है ।

विवेक अग्रवाल 13/12

(विवेक अग्रवाल)
अपर सचिव
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग